सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राज्य का वित्त

बिहार सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय – I राज्य सरकार का वित्त		
बिहार का परिचय	1	1
प्रस्तावना	1.1	2
राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	15
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1.5	16
संसाधनों का उपयोग	1.6	17
व्यय की गुणवत्ता	1.7	21
राज्य सरकार के व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	23
परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ	1.9	26
ऋण प्रबंधन	1.10	29
राजकोषीय असंतुलन	1.11	31
अनुवर्त्ती	1.12	34
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.13	34
अध्याय – II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	37
विनियोग लेखा का सारांश	2.2	38
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	39
बजटीय प्रावधान के व्यपगत होने से बचने के लिए निधि का आहरण	2.4	44
असमाशोधित व्यय	2.5	45
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	46
कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम	2.7	46
अनुदान संख्या–1 "कृषि विभाग" की समीक्षा	2.8	47
अनुदान संख्या–39 "आपदा प्रबंधन विभाग" की समीक्षा	2.9	50
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.10	52

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	3.1	55
असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र	3.2	57
निकायों और प्राधिकरणों को भुगतान किए गए अनुदानों या ऋणों का विवरण	3.3	58
प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.4	59
मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष	3.5	59
अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन	3.6	60
प्राप्तियों एवं व्यय का समाशोधन	3.7	60
बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 का परिचालन	3.8	61
व्यक्तिगत जमा खाते में निधि का स्थानांतरण	3.9	61
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	3.10	62

परिशिष्ट

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	65
1.2	भाग–कः सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	66
1.2	भाग–खः वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	66
1.3 भाग–क	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ0आर0बी0एम0)	1.1	69
1.3 भाग–ख	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति	1.1	70
1.4	वर्ष 2015–16 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार	1.1.1, 1.6.2	71
1.5	वर्ष 2015–16 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी	1.1.3	75
1.6	राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधे हस्तांतरण	1.2.2	76
1.7	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	1.3, 1.3.1.1	84
1.8	31 मार्च 2016 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.9.1	86

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.1	विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है	2.3.1	87
2.2	₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी	2.3.3	89
2.2 (क)	₹ 10 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी	2.3.3	91
2.3	वर्ष 2011–16 के दौरान सतत् बचत सूचित करने वाले अनुदानों की सूची	2.3.4	92
2.4	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.5	93
2.5	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.6	95
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.6	100
2.7	वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ या कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.7	106
2.8	निधियों का शत्-प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)	2.3.7	113
2.9	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत की विवरणी	2.3.9	118
2.10	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण के मामले	2.3.9	119
2.11	माह मार्च 2016 में सघन व्यय	2.3.10	122
2.12	बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण	2.4	123
2.13	शत्–प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा	2.4	125
2.14	वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि की विवरणी	2.5	126
2.15	नित्य प्रयोजन के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी	2.6	128
2.16	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का आधिक्य भुगतान की विवरणी	2.7.1	131

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.17	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भुगतान के पक्ष में अभिश्रवों का समर्पण नहीं होना	2.7.2	133
2.18	अनावश्यक पूरक प्रावधान (अनुदान सं0 1)	2.8.2	135
2.19	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं0 1)	2.8.4	137
2.20	निधि के अनुपयोग के कारण शत–प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं0 1)	2.8.5	144
2.21	निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोग (अनुदान सं0 39)	2.9.2	145
2.22	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं0 39)	2.9.3 (i)	147
2.23	अनुपयोगित प्रावधान (अनुदान सं0 39)	2.9.4	148
2.24	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं0 39)	2.9.5	150
3.1	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि	3.1.1	151
3.2	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम की धारा 14 के तहत चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	3.3	152
3.3	प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतिकरण में विलंब	3.4	153
3.4	लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियाँ का परिचालन'	3.8	155
3.5	लघु शीर्ष–800–'अन्य व्यय का परिचालन'	3.8	156
3.6	पी0डी0 खातों की विवरणी जहाँ राशि लगातार तीन वित्तीय वर्षों से अधिक अव्ययित पड़ी रही	3.6	157
	संकेताक्षरों की शब्दावली		159